

प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता }

1. जिला- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर थाना:- सीपीएस जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या..... 44/22 दिनांक..... 15/02/2022
2. (1) अधिनियम - भ्र0नि0 (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये - 7,7ए.....
(2) अधिनियम - भा0द0स0 धाराये :- 120 बी
(3) अधिनियम धाराये :-
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :-
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..... 306 समय..... 1:50 pm
(ब) अपराध के घटने का दिन :- 14.02.2022 सोमवार
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 15.11.2021 समय 12.30 पी.एम.....
4. सूचना की किस्म :- लिखित
5. घटनास्थल:- सरकारी आवास संख्या 03 बीकमपुर जिला बीकानेर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी - ब्यूरो चौकी से उत्तर दिशा, करीबन 190 किलोमीटर
(ब) पता :- कार्यालय कृषि अधिकारी सि0क्षे0 वि0 इगानप बीकमपुर परिसर स्थित
सरकारी आवास संख्या 03 बीकमपुर।
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :-
6. परिवादी/सूचनाकर्ता
(अ) नाम :- श्री विकास कुमार
(ब) पिता/पति का नाम :- श्री ओमप्रकाश
(स) जन्म तिथि/वर्ष :- 23 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता :- भारतीय
(य) पाटपोर्ट संख्या :- जारी होने की तिथि.....
(र) व्यवसाय :- व्यापार
(ल) पता :- निवासी गॉव 9 बी0जी0डी0 (बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री
गंगानगर हाल पदम कॉलोनी नाचना जिला जैसलमेर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा विशिष्टियों सहित :-
(1) श्री रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री सोहनपाल उम्र 56 वर्ष जाति जाटव, निवासी
गली नं.09, रामपुरा थाना नया शहर, बीकानेर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय
कृषि अधिकारी, सि.क्षे.वि. ई.गा.न.प. बीकमपुर जिला बीकानेर।
(2) श्री प्रेमसिंह कृषि अधिकारी कार्यालय सिंचित क्षेत्र विभाग इन्दिरा गांधी नहर
परियोजना. बीकमपुर जिला बीकानेर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण - कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टताएं :-
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य- रिश्वती राशि 20,000 रु.
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट

सेवामे,

श्रीमान उप अधीक्षक पुलिस, महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसलमेर

विषय:- रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रेप करवाने बाबत

महोदय निवेदन है कि मैं विकास कुमार पुत्र ओमप्रकाश उम्र 23 वर्ष जाति सुथार गाँव 9 बी0जी0डी0 (बी) तहसील रायसिंह नगर जिला श्री गंगानगर हाल पदम कॉलोनी नाचना जिला जैसलमेर कि अर्ज इस प्रकार है कि मैं मेरी दुकान " बालाजी किसान सेवा केन्द्र " के नाम से गाँव नाचना में खाद, बीज, कीटनाशक भण्डारण की दुकान के लाईसेन्स के लिए जब मैंने कृषि विभाग बीकमपूर में श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक से सम्पर्क किया तो उन्होंने मेरे उक्त दुकान के लिए मेरे से 30,000 रुपये कि रिश्वत राशी माँगी है, मैं उक्त कर्मचारी को रिश्वत राशी नहीं देकर उसे रंगे हाथों ट्रेप करवाना चाहता हूँ मेरे श्री रविन्द्र कुमार से कोई लेनदेन बकाया नहीं है। तथा न ही कोई रंजीश है।

दिनांक 15.11.2021

प्रार्थी

एसडी

नाम- विकास कुमार

पता:-गाँव9बी0जी0डी0(बी) तह0 रायसिंहनगर

जिला- श्री गंगानगर

हाल पता, पदम कॉलोनी नाचना (जैसलमेर)

मो0नं0 7232877084, 6376993890

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 15.11.2021 समय 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री विकास कुमार पुत्र ओमप्रकाश उम्र 23 साल जाति सुथार निवासी गाँव 9 बी0जी0डी0 (बी) तहसील रायसिंहनगर जिला श्री गंगानगर हाल पदम कॉलोनी नाचना जिला जैसलमेर ने ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में मन अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस भ्रनिब्यूरो जैसलमेर के समक्ष उपस्थित होकर एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मैं मेरी दुकान बालाजी किसान सेवा केन्द्र के नाम से गाँव नाचना में है खाद, बीज, कीटनाशक भण्डारण की दुकान के लाईसेन्स के लिए जब मैंने कृषि विभाग बीकमपुर में श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक से सम्पर्क किया

तो उन्होंने मेरे उक्त दुकान के लिए मेरे से 30,000 रुपये कि रिश्वत राशि माँगी है। मैं उक्त कर्मचारी को रिश्वत राशि नहीं देकर उसे रंगे हाथों ट्रेप करवाना चाहता हूँ। मेरे श्री रविन्द्र कुमार से कोई लेन देन बकाया नहीं है तथा न ही कोई रंजीश है।” पुछताछ पर परिवादी श्री विकास कुमार ने यह प्रार्थना पत्र स्वयं की हस्तलिपि में लिखकर इस पर अपने हस्ताक्षर करना बताया तथा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए स्वयं के आधार कार्ड की स्व प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत की तथा बताया कि मेरी कृषि विभाग बिकमपुर में कार्यरत कर्मचारी श्री रविन्द्र कुमार से कोई पुरानी रंजिश व दुश्मनी नहीं है, ना ही मैंने इनसे कोई उधार लेन-देन कर रखा है। उपरोक्त हालात से एक लोक सेवक आरोपी द्वारा परिवादी के जायज काम के लिए अवैध रूप से रिश्वत की मांग करने का कृत्य भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 15.11.2021 को गोपनीय रूप से रिश्वती राशि मांग का सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय हाजा के श्री शिवप्रताप कानि0 नं0 541 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाया गया व ब्यूरो कार्यालय के मालखाना इंचार्ज श्री जेठाराम हैड कानि 53 से मालखाना में से डिजीटल रिकॉर्डर निकलवाया गया। हाजिर परिवादी श्री विकास कुमार को इस डिजीटल रिकॉर्डर को ऑपरेट करने की प्रक्रिया समझाकर डिजीटल रिकॉर्डर परिवादी को दिया गया। परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई कि वे आरोपी श्री रविन्द्र कुमार से अपने खाद, बीज, कीटनाशक भण्डारण की दुकान के लाईसेन्स के संबंध में वार्तालाप कर उक्त वार्तालाप को इस डिजीटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लाने हेतु आवश्यक हिदायत देकर परिवादी श्री विकास कुमार को श्री शिवप्रताप कानि0 के साथ मौजा बीकमपुर की तरफ रवाना किया गया।

दिनांक 16.11.2021 समय 01.31 पी.एम पर श्री कानि0 श्री शिवप्रताप नं0 541 ने जरिये मोबाईल मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि परिवादी श्री विकास कुमार ने रिश्वती राशि मांग का सत्यापन करवा कर डिजिटल रिकॉर्डर लाकर मुझे सुपुर्द किया और बताया कि मेरी श्री रविन्द्र कुमार से मेरे काम के सम्बन्ध में वार्ता हो गई है और उन्होंने मेरे से 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की है, जिसमे से 10,000 रु. सत्यापन के दौरान ले लिये तथा शेष 20,000 रु. लेकर दिनांक 23-24 को बुलाया है। उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। जिस पर कानि0 श्री शिवप्रताप के मोबाईल से ही परिवादी श्री विकास कुमार से वार्ता करने पर उसने भी उक्त कथन की ताईद करते हुए बताया कि आरोपी आज छुट्टी जा रहे हैं तथा वापस दिनांक 23-24.11.2021 को आयेगें। जिस पर कानि0 को हिदायत दी गई कि आप डिजिटल रिकॉर्डर को बिना सुने ही सुरक्षित रूप से लेकर मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आवें एवं परिवादी को दिनांक 24.11.2021 तक आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000 रुपये की व्यवस्था कर कस्बा नाचना में प्रातः 9.30 एएम पर मिलने हेतु पाबन्द कर वही पर रुकसत करे। ताबाद कानि श्री शिवप्रताप नं0 541 ने मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होकर डिजीटल रिकॉर्डर सुपुर्द कर हालात अर्ज किये कि मैं व परिवादी श्री विकास कुमार कल दिनांक 15.11.2021 को बीकमपुर पहुँचे, रात्री का समय हो जाने के कारण मैंने डिजिटल रिकॉर्डर लेकर अपने पास रखते हुए मुकीम बीकमपुर ही रहे।

दिनांक 16.11.2021 को सुबह करीबन 11.40 मिनट पर परिवादी श्री विकास कुमार को पुनः डिजिटल रिकॉर्डर देकर आवश्यक समझाईश कर बीकमपुर स्थित कृषि विभाग के कार्यालय की तरफ रवाना किया गया था तथा मै कुछ दूर पहले ही रुक गया था। कुछ समय बाद करीबन 12.15 पीएम पर परिवादी ने वापस आकर मुझे डिजिटल रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मेरी आरोपी श्री रविन्द्र कुमार से मेरे काम के सम्बन्ध में वार्ता हो गई है और उन्होंने मेरे से 20,000 रुपये रिश्वत की मांग की है, जिसे लेकर दिनांक 23-24.11.2021 को बुलाया है। उक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता डिजिटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है तथा श्रीमान निर्देशों की पालना में परिवादी श्री विकास कुमार को रिश्वती राशि 20,000 रुपये की व्यवस्था कर दिनांक 24.11.2021 को प्रातः 9.30 एएम पर कस्बा नाचना में मिलने हेतु पाबन्द कर बीकमपुर में ही रुकसत कर दिया। ताबाद कानि० श्री शिवप्रताप द्वारा प्रस्तुत किया गया डिजिटल रिकॉर्डर चालु कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी व कानि के उपरोक्त कथनों की ताईद हुई। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा गोपनीयता की दृष्टि से डिजिटल रिकॉर्डर को अपनी अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित रखते हुए आईन्दा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 23.11.2021 समय 12.25 पीएम पर परिवादी के पुर्व के कथनानुसार आरोपी श्री रविन्द्र कुमार छुट्टी गया हुआ आज दिनांक 23.11.2021 को वापस अपने बीकमपुर कार्यालय में आने की पुर्ण सम्भावना होने से आगामी ट्रेप कार्यवाही दिनांक 24.11.2021 को किया जाना प्रस्तावित कर, कार्यालय उप वन संरक्षक जैसलमेर के नाम एक तहरीर पत्र क्रमांक 1564 दिनांक 23.11.2021 जारी करवाकर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह लाने हेतु श्री गुमनाराम कानि. 439 व श्री शेराराम चालक कानि 302 को मय सरकारी वाहन के रवाना किया गया। दिनांक 23.11.2021 समय 01.45 पी.एम. पर श्री गुमनाराम कानि. 439 एवं श्री शेराराम चालक कार्यालय उप वन संरक्षक जैसलमेर गये हुये दो स्वतंत्र लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये, जिनका परिचय प्राप्त किया तो उन्होंने क्रमशः अपना नाम श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री संगतसिंह भाटी जाति राजपुत उम्र 45 साल मूल निवासी गांव देउगा पोस्ट काणोद जिला जैसलमेर हाल निवासी रेवन्तसिंह की ढाणी जैसलमेर हाल वन रक्षक रेंज जैसलमेर कार्यालय डेजर्ट डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (डीडीपी) जैसलमेर मो० नं० 7726942451 तथा श्री महेन्द्रसिंह विश्नोई पुत्र श्री शंकरलाल विश्नोई उम्र 30 साल मूल निवासी केलनसर तहसील बाप जिला जोधपुर हाल वन रक्षक रेंज सम कार्यालय डेजर्ट डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (डीडीपी) जैसलमेर मो० नं० 9610757229 होना बताया। दिनांक 23.11.2021 समय 02.20 पी.एम.पर दोनो स्वतन्त्र गवाह श्री अर्जुनसिंह तथा श्री महेन्द्रसिंह विश्नोई को आवश्यक हिदायत कर कल दिनांक 24.11.2021 को प्रातः 6.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रुकसत किया गया।

दिनांक 24.11.2021 समय 06.00 ए.एम.पर पुर्व में पाबन्दशुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री अर्जुनसिंह तथा श्री महेन्द्रसिंह विश्नोई ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित आये। तत्पश्चात कानि० चालक श्री शेराराम नं० 302 को टैक्सी स्टेण्ड जैसलमेर भेजकर एक प्राईवेट वाहन मंगवाया गया। ताबाद मन् अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता चेतनराम एस.आई., जेठाराम हैड कानि. 53, मुकेश शर्मा वरिष्ठ सहायक, कानि० गण श्री दुर्गसिंह, रघुवीरसिंह, श्री संग्राम सिंह नंबर 536, श्री शिवप्रताप कानि० 541, श्री शेराराम चालक नंबर

302, दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री अर्जुनसिंह तथा श्री महेन्द्रसिंह विश्नोई के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन के फिनोफथलीन पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप सामग्री विभागीय लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजिटल रिकॉर्डर इत्यादि सामग्री के रवाना मौजा बीकमपुर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में पाबन्दशुदा परिवारी श्री विकास कुमार कस्बा नाचना में उपस्थित मिला, जिसे साथ लेकर रवाना होकर कस्बा बीकमपुर से 10 किलोमीटर पहले मौजा 1160 आरडी पहुँचा। मौके पर दोनो गवाहान का परिवारी श्री विकास कुमार से आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को परिवारी का प्रार्थना पत्र पढ़कर तथा पूर्व में डिजिटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवाई गई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्यांश सुनाये गये। जिस पर दोनो गवाहान ने परिवारी से पुछताछ कर तसल्ली कर इस ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाहान रहने की अपनी सहमति प्रदान करते हुए परिवारी के प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। परिवारी श्री विकास कुमार ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000/- रुपये अपने साथ लाना बताया। जिस पर रूबरू मौतविरान परिवारी को आरोपी श्री रविन्द्र कुमार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा 500 -500 रुपये के 40 नोट कुल राशी 20,000 रु. अपनी जेब से निकालकर मन् अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। इन नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये जाकर इन नोटों पर कार्यालय हाजा के कानि. श्री रघुवीरसिंह नं0 143 से विधिवत फिनोफथलीन पाउडर की कार्यवाही करवाई जाकर फर्द पेशकशी भारतीय मुद्रा एवं सुपुर्दगी तथा दृष्टान्त फिनोफथलीन पाउडर अलग से जरिये विभागीय लेपटॉप के तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले कानि श्री रघुवीरसिंह नं0 143 को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी सहित ही आगामी निर्देशों तक मौजा 1160 आरडी में रहने की हिदायत की गई एवं शेष ट्रेप दल कस्बा बीकमपुर की तरफ रवाना हुआ। ताबाद मन् उप अधीक्षक पुलिस ट्रेप दल सहित बीकमपुर स्थित आरोपी के कार्यालय व सरकारी आवास जो कि एक ही परिसर में स्थित है से कुछ दूर करीब 500 मीटर पहले पहुँचा। जहाँ पर परिवारी श्री विकास कुमार के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर सम्पर्क करवाया गया तो आरोपी का राजकार्य से बाहर जाना तथा दिनांक 26.11.2021 को वापस बीकमपुर आकर परिवारी का कार्य करने हेतु कहना पाया गया। आरोपी के दिनांक 26.11.2021 को बीकमपुर स्थित अपने कार्यालय में आने पर आगामी ट्रेप कार्यवाही दिनांक 26.11.2021 को किया जाने का निर्णय लिया गया तथा परिवारी श्री विकास कुमार को पूर्व में दिया गया डिजिटल रिकॉर्डर व फिनोफथलीन पाउडरयुक्त नोटों को एक सफेद लिफाफे में रखवाकर, प्राप्त किया जाकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ट्रेप दल सहित साथ लाये हुए वाहनों से ही ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर के लिए रवाना हुआ तथा रास्ते में श्री रघुवीरसिंह नं0 143 को फिनोफथलीन पाउडर की शीशी सहित मौजा 1160 आरडी से साथ लिया गया एवं कस्बा नाचना में परिवारी श्री विकास कुमार को आरोपी श्री रविन्द्र कुमार के बीकमपुर आने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस से सम्पर्क करने व गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर रुकसत किया गया। ताबाद ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर पहुँच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही दिनांक 26.11.2021 को किया जाना प्रस्तावित होने से लिहाजा दोनों स्वतन्त्र गवाहान को जरिये मोबाईल सम्पर्क करने पर दिनांक 26.11.2021 को ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर

गोपनीयता की हिदायत कर रूकसत किया गया। तत्पश्चात फिनोफथलीन पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप सामग्री, डिजिटल रिकॉर्डर, फिनोफथलीन पाउडरयुक्त नोट इत्यादि को सुरक्षा की दृष्टि से जमा मालखाना करवाया गया।

दिनांक 07.01.2022 समय 10.50 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने जरिये वाट्सएप्प कॉल के परिवादी श्री विकास कुमार से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि मेरी श्री रविन्द्र कुमार से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी दुकान की खाद, बीज, कीटनाशक, भण्डारण लाईसेंस हेतु दस्तावेज ऑनलाईन बनाने पड़ेगे क्योंकि वर्तमान में ऑफलाईन लाईसेंस बनाना बन्द हो चुका है, आप मेरे पास दस्तावेज ले आना मैं स्वयं दस्तावेज ऑनलाईन करवा दूंगा। परिवादी ने बताया कि मेरे दस्तावेज अभी तक ऑनलाईन नहीं हुए हैं। जिस पर परिवादी को हिदायत दी गई कि आप अपने दस्तावेज ऑनलाईन करवाकर मन उप अधीक्षक पुलिस से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु सम्पर्क करें। दिनांक 19.01.2022 समय 01.15 पीएम मन उप अधीक्षक पुलिस ने जरिये वाट्सएप्प कॉल के परिवादी श्री विकास कुमार से सम्पर्क किया तो उसने बताया कि मैंने श्री रविन्द्र कुमार से सम्पर्क कर पूर्व में दिये गये रिश्वत के 10 हजार रुपये एवं मेरे द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद भी अभी तक काम नहीं होने बाबत ताकिद की तो रविन्द्र कुमार ने कहा कि आपके दस्तावेज अभी तक ऑनलाईन नहीं हो पाये हैं, मैं आपका काम करवा दूंगा। इस पर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत करने पर उसने कहा कि मैं अपने स्तर पर अपने दस्तावेज ई- मित्र पर ऑनलाईन करवा कर आपसे सम्पर्क करूंगा।

दिनांक 13.02.2022 समय 12.05 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री विकास कुमार ने जरिये वाट्सएप्प कॉल के बताया कि मेरी श्री रविन्द्र कुमार से बात हो गई है। उन्होंने मुझे कहा है कि आपने जो लाईसेंस हेतु फाईल ऑनलाईन करवाई है उन दस्तावेजों की फाईल बनाकर बीकमपुर ऑफिस में आकर मुझे दे दो मैं आपका काम करवा दूंगा, कुछ कम ज्यादा होगा तो मैं साहब से कहकर आपके लिए कम करवा लूंगा। आप पैसे एवं फाईल की फोटो कॉपी लेकर आ जाओ। इस पर परिवादी को गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कल दिनांक 14.02.2022 को समय 10 एएम पर बीकमपुर पुलिस के नीचे मिलने हेतु पाबन्द किया गया। कानिस्टेबल चालक श्री शेराराम को एक प्राईवेट वाहन दिनांक 14.02.2022 को समय 05 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में लाने हेतु हिदायत की गई। पाबन्दशुदा गवाहान सर्व श्री अर्जुनसिंह व महेन्द्रसिंह विश्नोई को ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित आने पर इस प्रकरण में अब तक हुई कार्यवाही से अवगत करवाकर गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 14.02.2022 समय 05.00 एएम पर ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूकसत किया गया।

दिनांक 14.02.2022 समय 05.15 एएम पर पूर्व में पाबन्दशुदा गवाहान श्री अर्जुनसिंह व श्री महेन्द्रसिंह विश्नोई तथा ब्यूरो स्टाफ व श्री शेराराम चालक कानि 302 एक प्राईवेट वाहन सहित ब्यूरो कार्यालय जैसलमेर में उपस्थित आया। ताबाद मन् अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता श्री जेठाराम हैड कानि. 53, मुकेश शर्मा वरिष्ठ सहायक, कानि 0 गण श्री किसनाराम कानि 0 238, श्री रघुवीरसिंह कानि 143, श्री भंवरलाल कानि 309, श्री शिवप्रताप कानि 541 श्री संग्रामसिंह कानि 541, श्री शेराराम चालक नंबर 302, दोनों स्वतंत्र गवाहान

श्री अर्जुनसिंह व श्री महेन्द्रसिंह विश्नोई जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहन के विभागीय डिजिटल रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व फिनोफथलीन पाउडरयुक्त नोटों का लिफाफा ,सामग्री इत्यादि सामग्री के रवाना होकर बीकमपुर (जिला बीकानेर) पुलिस के नीचे पहुँचा जहाँ पुर्व में पाबन्दशुदा परिवादी श्री विकास कुमार उपस्थित नहीं मिला। जिस पर जरिये टेलीफोन परिवादी से सम्पर्क किया गया तो परिवादी श्री विकास कुमार ने बताया कि मेरे द्वारा लाईसेंस हेतु ऑनलाईन करवाये गये दस्तावेजों का प्रिन्ट आउट मुझे अभी तक नहीं मिला है। जो मैं ई- मित्र से निकलवा कर ला रहा हूँ। जिस पर बीकमपुर पुलिस के पास ही ब्यूरो दल की उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी का इन्तजार करने लगे। कुछ समय बाद परिवादी श्री विकास कुमार ने मुझ उप अधीक्षक पुलिस के पास आकर बताया कि मैंने अपनी दुकान के खाद ,बीज, कीटनाशक भण्डारण हेतु लाईसेंस बाबत जो दस्तावेज ऑनलाईन करवाये हैं उसकी प्रिन्ट आउट अपने साथ लाया हूँ। यह प्रिन्ट आउट श्री रविन्द्र कुमार को देने पर वह मुझसे पैसों की मांग करेगा। जिस पर परिवादी का दोनों स्वतन्त्र गवाहान से पुनः परिचय करवाया जाकर पुर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी अनुसार फिनोफथलीन पाउडरयुक्त नोटों का लिफाफा परिवादी श्री विकास कुमार को रूबरू मौतबिरान सुपुर्द किया गया एवं परिवादी फिनोफथलीन पाउडरयुक्त नोटों को लिफाफे में से निकालकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब में रखने इत्यादि की आवश्यक हिदायत की गई। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमरायान ट्रेप दल के परिवादी श्री विकास कुमार को साथ लेकर कार्यालय कृषि विभाग बीकमपुर से कुछ दूर आगे जाकर परिवादी को डिजिटल रिकॉर्डर देकर रिश्वती राशि लेन देन की वार्ता रिकॉर्ड करने एवं मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर अथवा ब्यूरो स्टाफ के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल अथवा कॉल करके आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने का पुर्व में तयशुदा गोपनीय ईशारा करने की आवश्यक हिदायत कर आरोपी श्री रविन्द्र कुमार के कार्यालय की तरफ रवाना किया गया। शेष ट्रेप दल परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में अपनी उपस्थिति छुपाते हुए कार्यालय के आस पास मुकीम रहे।

कुछ समय पश्चात मौतबिरान के रूबरू परिवादी विकास कुमार ने अपने मोबाईल संख्या 6376993890 से मुझ अन्नराज उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर पुर्व में निर्धारित ईशारा मिस कॉल किया अर्थात् आरोपी श्री रविन्द्र कुमार ने परिवादी श्री विकास कुमार से रिश्वत राशि प्राप्त कर ली है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने ब्यूरो दल के सदस्यों को तुरन्त कार्यालय कृषि अधिकारी, सि.क्षे.वि. ई.गा.न.प. बीकमपुर (बीकानेर) के परिसर में स्थित सरकारी आवास संख्या 03 पर पहुँचने हेतु निर्देशित कर स्वयं मय ब्यूरो स्टाफ के कार्यालय कृषि अधिकारी, सि.क्षे.वि. ई.गा.न.प. बीकमपुर (बीकानेर) के परिसर में स्थित सरकारी आवास संख्या 03 पहुँचा। जहाँ उक्त सरकारी आवास में प्रवेश करने पर सामने ही एक व्यक्ति चारपाई पर बैठा हुआ मिला जिसके पास ही परिवादी श्री विकास कुमार खड़ा मिला। परिवादी विकास कुमार ने चारपाई पर बैठे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक है जिन्होंने मेरे से मेरी दुकान बालाजी किसान सेवा केन्द्र नाचना में खाद, बीज, कीटनाशक भण्डारण के लाईसेन्स के लिए अभी अभी पुर्व में तयशुदा रिश्वत राशि 20,000 रुपये अपने हाथ में लेकर अपने पहने हुए बरमुडा की दाहिनी जेब में रखे हैं। इतने में शेष समस्त ट्रेप दल भी उपस्थित आया। परिवादी श्री विकास कुमार को पुर्व में दिया गया डिजिटल रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर मन

उप अधीक्षक पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, जिसकी बाद में सुन सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट अलग से तैयार करने का निर्णय लिया गया। परिवादी के बताये व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना तथा मौतबिरान का परिचय देकर उसका परिचय पुछने पर उसने अपना श्री रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री सोहनपाल उम्र 56 वर्ष जाति जाटव, निवासी गली नं. 09, रामपुरा थाना नया शहर, बीकानेर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय कृषि अधिकारी, सि.क्षे. वि. ई.गान.प. बीकमपुर जिला बीकानेर मोबाईल नम्बर 8094996624 व 8890978445 होना बताया। श्री रविन्द्र कुमार को परिवादी श्री विकास कुमार की तरफ इशारा कर पुछने पर उसने बताया कि मैं विकास कुमार को पहचानता हूँ क्योंकि विकास कुमार आज से करीब एक-डेढ़ महिने पहले मेरे पास अपनी दुकान का लाईसेंस बनवाने हेतु चालान के 5000 रुपये जमा करवाने हेतु आया था। उस समय चालान ऑनलाईन जमा होने के कारण मैंने चालान के जो 5000 रुपये विकास ने दिये थे वो तुरन्त ही उसे वापस दे दिये थे। इस पर पास ही खड़े परिवादी श्री विकास कुमार से पुछने पर उसने आरोपी के कथन का खण्डन करते हुए बताया कि मैं आज से करीब 03 माह पहले श्री रविन्द्र कुमार से मिला था तब इन्होंने मेरी दुकान का कीटनाशक, खाद बीज, भण्डारण का लाईसेंस बनवाने हेतु 30000 रुपये रिश्वत की मांग की थी जिसमें से 10,000 रुपये इन्होंने दिनांक 16.11.2021 को मांग सत्यापन के दौरान ले लिए थे। तथा रिश्वत के शेष 20,000 रुपये आज मेरे से लिये हैं। इन्होंने मुझे कोई 5000 रुपये वापस नहीं लौटाए हैं तथा श्री रविन्द्र कुमार द्वारा 5000 रुपये लौटाने की बात मनगढ़त व झुठी है। ताबाद आरोपी श्री रविन्द्र कुमार को आज रिश्वती राशि 20000 रुपये प्राप्त करने के सम्बन्ध पुछने पर उसने बताया कि विकास कुमार आज मेरे पास आया और उसने मुझे 20000 रुपये दिये हैं, मैंने विकास को कहा था कि साहब जो खर्चा पानी मिठाई का कह रहे हैं वो मैं साहब को दे दुंगा बाकी रकम मैं आपको वापस दे दुंगा। उक्त साहब के बारे में पुछने पर आरोपी श्री रविन्द्र कुमार ने बताया कि श्री प्रेमसिंह कृषि अधिकारी, सिंचित क्षेत्र विकास इगानप बीकमपुर (बीकानेर) मेरे साहब हैं, जो कि लाईसेंस (अनुज्ञा पत्र) जारी करने हेतु अधिकृत हैं। श्री प्रेमसिंह जी साहब आज हमारे उच्च अधिकारी के साथ निरीक्षण हेतु फिल्ड में गये हुए हैं। जिस पर आरोपी श्री रविन्द्र कुमार के मोबाईल फोन नम्बर 8890978445 से श्री प्रेमसिंह कृषि अधिकारी के मोबाईल नम्बर 9829232998 पर वार्ता करवाने हेतु मोबाईल का स्पीकर ऑन कर 5-6 बार कॉल करवाया गया तो श्री प्रेमसिंह का फोन नोटरिचेबल आया। ताबाद श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक के हाथ धोवन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक के सरकारी आवास में ही रखे कैम्पर से एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर साफ कांच के एक गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक के दाहिनी हाथ की अंगुलियों व अगुठे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया, इस गुलाबी घोल को साफ कांच की दो शीशियों में आधा-आधा भरकर सील चस्पा कर चस्पो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.एच.1 व आर.एच. 2 अंकित किया गया। इसी तरह दूसरे साफ कांच के एक गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हिलाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं

आया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक के बांये हाथ की अंगुलियों व अगुठे को डूबाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इस गुलाबी घोल को साफ कांच की दो शीशियों में आधा-आधा भरकर सील चस्पा कर चस्पों पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल.एच.1 व एल.एच. 2 अंकित किया गया। तत्पश्चात रूबरू मौतबीरान श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक को परिवादी श्री विकास कुमार से प्राप्त रिश्वती राशि के बारे में पुनः तसल्ली से पुछने पर उसने अपने पहने हुए बरमुडा की साईड की दाहिनी जेब में होना बताया, जिस पर गवाह अर्जुनसिंह से श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक के बरमुडा की साईड की दाहिनी जेब की तलाशी लिवाई गई तो इस जेब में 500-500 रुपये के नोटों का एक बंडल पाया गया। उक्त नोट गवाह के पास ही रहने दिये जाकर दुसरे गवाह से पूर्व में बनाई गयी फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों का मिलान बोल-बोल कर करवाया गया तो फर्द में अंकित 20,000 रू० के नोटों के नम्बर हुबहू पाये गये। नोटों के नम्बर निम्न प्रकार है :-

1. 500 रुपये का नोट नम्बर 3 जी.आर. 659443
2. 500 रुपये का नोट नम्बर 3 जी.बी. 086111
3. 500 रुपये का नोट नम्बर 6 सी.एन. 115750
4. 500 रुपये का नोट नम्बर 4 एच.जी. 475395
5. 500 रुपये का नोट नम्बर 0 जी.यु. 553804
6. 500 रुपये का नोट नम्बर 8 यु.वी. 541705
7. 500 रुपये का नोट नम्बर 6 क्यु. क्यु. 048300
8. 500 रुपये का नोट नम्बर 0 सी.आर. 269431
9. 500 रुपये का नोट नम्बर 8 यू.यू. 026616
10. 500 रुपये का नोट नम्बर 9 बी.पी. 059114
11. 500 रुपये का नोट नम्बर 6 सी.यु. 305330
12. 500 रुपये का नोट नम्बर 5 डी.वी. 730030
13. 500 रुपये का नोट नम्बर 6 टी.पी. 575437
14. 500 रुपये का नोट नम्बर 5 के.एस. 463386
15. 500 रुपये का नोट नम्बर 3 डब्ल्यू. एच. 749952
16. 500 रुपये का नोट नम्बर 2 के. वी. 942862
17. 500 रुपये का नोट नम्बर 8 बी.एल. 098322
18. 500 रुपये का नोट नम्बर 5 एफ.आर 173834
19. 500 रुपये का नोट नम्बर 2 पी.ई. 012207
20. 500 रुपये का नोट नम्बर 8 ई. वी. 560968
21. 500 रुपये का नोट नम्बर 9 बी.एस. 260153
22. 500 रुपये का नोट नम्बर 3 एन.एस. 791807
23. 500 रुपये का नोट नम्बर 0 ए.एफ. 511990
24. 500 रुपये का नोट नम्बर 8 एस.एम. 760083

25. 500 रुपये का नोट नम्बर 2 ए.एन. 362306
26. 500 रुपये का नोट नम्बर 9 वी.एम. 738535
27. 500 रुपये का नोट नम्बर 3 डी.सी. 019994
28. 500 रुपये का नोट नम्बर 6 ए.एच. 825713
29. 500 रुपये का नोट नम्बर 0 जी.एन. 401308
30. 500 रुपये का नोट नम्बर 5 यु.एम. 906963
31. 500 रुपये का नोट नम्बर 4 टी.सी. 625957
32. 500 रुपये का नोट नम्बर 3 एच.एच. 853055
33. 500 रुपये का नोट नम्बर 1 यु.टी. 739947
34. 500 रुपये का नोट नम्बर 9 एल.एन. 375723
35. 500 रुपये का नोट नम्बर 4 आर.पी. 196582
36. 500 रुपये का नोट नम्बर 1 एन.एस. 175395
37. 500 रुपये का नोट नम्बर 3 ए.वी. 728739
38. 500 रुपये का नोट नम्बर 2 एम.यु. 264731
39. 500 रुपये का नोट नम्बर 8 पी.वी. 492610
40. 500 रुपये का नोट नम्बर 4 एफ.आर. 321872

उक्त बरामदा कुल राशि 20,000 रु. के नोटों को कब्जा एसीबी लिया जाकर, इन नोटों पर सफेद कपड़े की एक चिट् लगाई जाकर, चिट् पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर इन नोटों को एक तरफ से सील चस्पा किया गया। श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक की जामा तलाशी गवाह श्री अर्जुनसिंह से लिवाई गई तो उसके बदन पर पहने हुए कपड़ों के अलावा अन्य कोई राशि अथवा दस्तावेज नहीं पाये गये। इसके पश्चात् श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक के इसी सरकारी आवास में रखे कपड़ों में से एक लोवर (पायजामा) निकालकर बदलने हेतु दिया जाकर बरमुडा उतरवाया गया। उपरोक्तानुसार साफ कांच के गिलास में विधिवत सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया। उक्त उतरवाये गये बरमुडा की साईड की दाहिनी जेब जहाँ से रिश्वती राशि बरामद हुई को उलटवाकर घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस घोल को समस्त हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। इस गुलाबी घोल को भी साफ कांच की दो शीशियों में आधा-आधा भर सील चस्पा कर, चस्पो पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मार्क बी-1 व बी-2 अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। इस बरमुडा को भी वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया जाकर सफेद कपड़े की एक थैली में सिलाई कर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित करते हुए संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील चस्पा किया गया। ताबाद प्रकरण में अन्य आरोपी श्री प्रेमसिंह कृषि अधिकारी के मोबाईल नम्बर 9829232998 पर आरोपी श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक के मोबाईल फोन नम्बर 8890978445 से समय 03.02 पीएम पर वार्ता करवाने हेतु मोबाईल का स्पीकर ऑन कर कॉल करवाया गया तो श्री प्रेमसिंह ने फोन उठाया तथा आरोपी श्री रविन्द्र कुमार द्वारा परिवादी विकास कुमार से रिश्वती राशि 20000 रुपये प्राप्त करने के सम्बन्ध में वार्ता करने पर परिवादी का कार्य करने एवं रिश्वती राशि प्राप्त करने की सहमति देते हुए हामी भरी

जिसे विभागीय डिजिटल रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया जिसकी आईन्दा फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट मुर्तिब करने का निर्णय लिया गया। ताबाद श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक से परिवादी के पैन्डिंग कार्य से सम्बन्धित खाद, बीज, कीटनाशक भण्डारण के लाईसेंस हेतु पत्रावली/दस्तावेजात के सम्बन्ध में पुछा गया तो उसने बताया कि श्री विकास कुमार ने अपनी दुकान के उक्त तीनों लाईसेंस हेतु वांछित दस्तावेजों की पत्रावली बनाकर ऑनलाईन करवाकर आज ही मुझे दी है जो कि मेरे पास है। जिस पर श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक से उक्त रिकॉर्ड मांगा गया तो उसने निम्नांकित रिकॉर्ड निकालकर पेश किया :-

(1) बालाजी किसान सेवा केन्द्र प्रो० विकास कुमार नाचना की कीटनाशक लाईसेंस हेतु पत्रावली पृष्ठ संख्या 01 से 23 तक (2) बालाजी किसान सेवा केन्द्र नाचना सीड (बीज) वर्ष 2022 की लाईसेंस हेतु पत्रावली पृष्ठ संख्या 01 से 12 तक। (3) बालाजी किसान सेवा केन्द्र नाचना फर्टीलाइजर वर्ष 2022 की लाईसेंस हेतु पत्रावली पृष्ठ संख्या 01 से 18 तक उपरोक्त वर्णित क्रम संख्या 01 से 03 तक का रिकॉर्ड प्रकरण हाजा में वांछित होने से मूल पत्रावलियों की सत्यापित प्रतियाँ कब्जा एसीबी ली जाकर मूल पत्रावलियों कार्यालय कृषि अधिकारी, सिंचित क्षेत्र विकास ई.गा.न.प.बीकमपुर जिला बीकानेर मे श्री अरूण कुमार चाहर को सुपुर्द की गई। फर्द हाजा पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण हाजा में अन्य वांछित आरोपी श्री प्रेमसिंह कृषि अधिकारी की तलाश करने पर रुहपोश होना पाये जाने पर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। ताबाद विधिवत फर्द नक्शा मौका घटनास्थल (बरामदगी स्थल रिश्वती राशि) मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक के रहवासी सरकारी आवास संख्या 03 कार्यालय कृषि अधिकारी सि०क्षे०वि० इगानप बीकमपुर परिसर की विधिवत खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी अलग से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। मौके पर अग्रिम कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए अग्रिम कार्यवाही नजदीकी पुलिस थाना नोख जिला जैसलमेर पहुंच कर किये जाने का निर्णय लिया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ट्रेप दल, परिवादी श्री विकास कुमार, आरोपी श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ सहायक व मालखाना आईटमों को साथ लेकर के साथ लाये हुए अपने प्राइवेट व सरकारी वाहनो से रवाना होकर पुलिस थाना नोख पहुंचा। दिनांक 14.02.2022 समय 07.20 पीएम पर श्री रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री सोहनपाल उम्र 56 वर्ष जाति जाटव, निवासी गली नंबर 09, रामपुरा थाना नया शहर, बीकानेर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय कृषि अधिकारी, सिंचित क्षेत्र विकास, ई.गा.न.प. बीकमपुर जिला बीकानेर को उनके द्वारा किये गये जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भादस से अवगत करवाकर विधिवत जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। रिश्वती राशि लेन देन के समय परिवादी को दिया गया डिजीटल रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस के पास है। इस रिकॉर्डर में रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो दिनांक 16.11.2021 को रिकॉर्ड की गई थी, को रूबरू गवाहान व परिवादी के सुन - सुनकर शब्द - बशब्द फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। रिश्वती राशि लेन देन के समय रिकॉर्ड की गई वार्तालाप दिनांक 14.02.2022 की रूबरू गवाहान व परिवादी के सुन-सुनकर शब्द-बशब्द फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट रिश्वती राशि लेन देन वार्तालाप अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। रिश्वती राशि लेन देन

के पश्चात आरोपी श्री रविन्द्र कुमार व सहआरोपी श्री प्रेमसिंह के मध्य मोबाईल पर करवाई गई वार्तालाप जिसे कार्यालय हाजा के विभागीय डिजिटल रिकॉर्डर रिकॉर्ड की गई है को रूबरू गवाहान व परिवादी के सुन-सुनकर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट अलग से मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद परिवादी श्री विकास कुमार को पुलिस थाना नोख सें ही ईजाजत वापसी दी गई। ट्रेप कार्यवाही के दौरान लिये गये धोवनो की छः सीलशुदा शीशियां, सील्ड शुदा बरामद रिश्वती राशि 20,000 रुपये, बरमुडा का सिल्डशुदा पैकेट, रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की सिल्ड शुदा सीडी व एक खुली डब सीडी, रिश्वती राशि लेन-देन वार्तालाप की सिल्ड शुदा सीडी व एक खुली डब सीडी, रिश्वती राशि लेन-देन के पश्चात मोबाईल पर करवाई गई वार्तालाप की सिल्ड शुदा सीडी व एक खुली डब सीडी इत्यादि मालखाना आईटम श्री जेठाराम हैड कानि 53 को सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर श्री जेठाराम हैड कानि 53 मय मालखाना आईटम व जाप्ता तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान सर्व श्री अर्जुनसिंह व श्री महेन्द्रसिंह विश्नोई के जरिये सरकारी वाहन ब्यूरो चौकी जैसलमेर के लिए रवाना किया गया।

उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्तगण (1) श्री रविन्द्र कुमार पुत्र स्व. श्री सोहनपाल उम्र 56 वर्ष जाति जाटव, निवासी गली नं.09, रामपुरा थाना नया शहर, बीकानेर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय कृषि अधिकारी, सिंचित क्षेत्र विभाग इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकमपुर जिला बीकानेर (2) श्री प्रेमसिंह पुत्र जमनीराम उम्र 53 साल निवासी ग्राम गादोली तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल कृषि अधिकारी कार्यालय कृषि अधिकारी, सिंचित क्षेत्र विभाग इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकमपुर जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री विकास कुमार से उसकी दुकान बालाजी किसान सेवा केन्द्र नाचना मे खाद, बीज, व कीटनाशक भण्डारण का लाईसेन्स बनवाने के एवज में 30,000 हजार रुपये की मांग करना, सत्यापन के दौरान 10,000 रुपये प्राप्त करना एवं दिनांक 14.02.2022 को शेष रिश्वती राशि 20,000 रुपये स्वयं के लिए तथा अपने अधिकारी प्रेमसिंह कृषि अधिकारी के लिए प्राप्त करना, आरोपी श्री रविन्द्र कुमार की सहआरोपी श्री प्रेमसिंह से मोबाईल पर वार्ता कराने पर प्रेमसिंह द्वारा रिश्वती राशि लेने हेतु सहमति देना, परिवादी के पैन्डिंग कार्य खाद, बीज कीटनाशक भण्डारण हेतु लाईसेन्स जारी कराने से संबंधित 3 पत्रावलिया आरोपी के कब्जे से बरामद होना इत्यादि कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा0द0स0 कारित किया जाना प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया है। लिहाजा इस प्रकरण की बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित कर अनुरोध है कि अपराध पंजियन कर अनुसंधान के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावे।




(अन्नराज)

उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जैसलमेर

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अन्नराज, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंस में आरोपीगण 1.श्री रविन्द्र कुमार, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय कृषि अधिकारी, सिंचित क्षेत्र विभाग इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकमपुर जिला बीकानेर एवं 2.श्री प्रेम सिंह, कृषि अधिकारी, कार्यालय सिंचित क्षेत्र विभाग इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकमपुर जिला बीकानेर के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 44/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


15.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 415-20 दिनांक 15.2.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, पंत कृषि भवन, जयपुर।
4. आयुक्त, सिंचित क्षेत्र विभाग, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जिला बीकानेर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जैसलमेर।


15.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।